

॥ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) गुरुर जिला बालोद (छ0ग0) ॥

प्ररूप-ड
(नियम 7(2)देखिये)
अनुमति पत्र

क्र- 2024/1243/00024/37-62
वर्ष 2024-25 पक्षकार अभिलेख
ग्रामपलारी पारिस इलेक्ट्रॉनिक्स 28/3/25

प्रति,

श्री अनिल जाजू पिता प्रभूलाल जाजू
जाति माहेश्वरी वर्ग- सामान्य
ग्राम पलारी पहनं 04
तहसील गुरुर जिला बालोद

विषय:- रोपित रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—000—

विषयान्तर्गत आपका आवेदन दिनांक 04.10.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 05.12.2024 को जारी किया गया। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि खसरा नंबर 722, 726, 727/1, 728 क्रमशः रकबा 0.43, 0.74, 0.11, 0.96 हे. कुल खसरा नंबर 04 कुल रकबा 2.24 हे. ग्राम पलारी पहनं 04 तहसील गुरुर स्थित सागौन प्रजाति कुल 176 वृक्ष हैं, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः 176 वृक्ष में से परिपक्व वृक्षों की कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र-9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरुर, जिला बालोद (छ.ग.)
गुरुर जिला बालोद (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

01. कलेक्टर जिला बालोद को सूचनार्थ ।
02. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बालोद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
03. तहसीलदार गुरुर को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।
04. वनपरिक्षेत्राधिकारी गुरुर, जिला बालोद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
गुरुर, जिला बालोद (छ.ग.)
गुरुर जिला बालोद (छ.ग.)